उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या100/2020/1424/92-2-20-108जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 21अगस्त 2020

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-65291/2014- कपिलदेव प्रसाद मदेशिया बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-02-2015 के पश्चात कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बलिया से अवर अभियंता के पद से सेवानिवृत्त श्री कपिल देव प्रसाद मद्धेशिया के सेवानिवृत्तिक लाभो का भुगतान न किये जाने, विलम्ब के समुचित कारणों को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने तथा ब्याज के रूप में श्री मद्धेशिया को किये गये भुगतान रू0 3,39,352.00 एवं रू0 2,05,667.00 कुल धनराशि रू0 5,45,019.00 के शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री परवेज, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ) को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (02 प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-100/2020/1424(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/वित्त नियंत्रक, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र **(संलग्नक सहित)** मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जॉच आख्याशासन को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-बलिया।

4- श्री परवेज, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बलिया सम्प्रति अधि0भि0, प्रखण्ड-लखनऊ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in